

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर रोड, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष (का.) 0771-2439562, फ़ैक्स: 0771-2446556, वेबसाईट www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 424/08/2019 /प.गो.

रायपुर, दिनांक 22/06/2019

--: विज्ञप्ति ::--

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2019 की लिखित परीक्षा दिनांक 07 मई 2019 को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गई थी। व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2019 के मॉडल उत्तर दिनांक 08/05/2019 को आयोग के वेबसाईट में जारी करते हुए ऑनलाईन आपत्ति करने की प्रारंभ तिथि 14/05/2019 से आपत्ति स्वीकार करने की अंतिम तिथि दिनांक 20/05/2019 रात्रि 12:00 बजे तथा आयोग में दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 24/05/2019 तक निर्धारित थी।

उपर्युक्तानुसार इस परीक्षा के प्रश्न/मॉडल उत्तर के संदर्भ में प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण एवं निराकरण विषय विशेषज्ञ समितियों द्वारा करवाया गया। विषय विशेषज्ञों द्वारा सूक्ष्म जांच कर दिये गए प्रतिवेदन के आधार पर संशोधित मॉडल उत्तर इस विज्ञप्ति के माध्यम से आयोग की वेबसाईट www.psc.cg.gov.in पर जारी किया जा रहा है। यह अंतिम संशोधित मॉडल उत्तर है, जिसके आधार पर मूल्यांकन की कार्यवाही की जावेगी। इसमें किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

22/6/19
परीक्षा नियंत्रक
छ.ग. लोक सेवा आयोग,
रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर


व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2019


AMENDED MODEL ANSWER

SUBJECT - LAW

Q.N.	Ans.	Q.N.	Ans.	Q.N.	Ans.	Q.N.	Ans.
1	-	26	D	51	A	76	D
2	D	27	C	52	-	77	A
3	A	28	-	53	D	78	-
4	D	29	B	54	A	79	B
5	C	30	B	55	C	80	D
6	A	31	D	56	D	81	-
7	D	32	C	57	C	82	C
8	B	33	D	58	B	83	A
9	C	34	D	59	D	84	B
10	B	35	B	60	A	85	C
11	B	36	A	61	-	86	C
12	C	37	A	62	A	87	D
13	B	38	B	63	B	88	A
14	D	39	A	64	B	89	D
15	C	40	C	65	B	90	B
16	-	41	A	66	A	91	A
17	B	42	A	67	D	92	D
18	A	43	C	68	B	93	-
19	A	44	A	69	B	94	D
20	C	45	-	70	A	95	B
21	C	46	B	71	B	96	-
22	B	47	-	72	D	97	-
23	D	48	A	73	D	98	A
24	D	49	A	74	B	99	A
25	C	50	D	75	A	100	B

नोट :- प्रश्न क्रमांक 01, 16, 28, 45, 47, 52, 61, 78, 81, 93, 96 एवं 97 कुल 12 प्रश्नों को विलोपित किया गया है। इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दर्शाया गया है। उक्त विलोपित किये गये प्रश्नों के अंकों को शेष प्रश्नों के अंकों के साथ जोड़कर मूल्यांकन किया जाएगा।




परीक्षा नियंत्रक
छ.ग. लोक सेवा आयोग
रायपुर